फा.सं. 4/6/2017-स्था. (वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 18.01.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - रोकड़ संभाल (हैंडलिंग) एवं कोष भत्ता संबंधी।

व्यय विभाग के दिनांक 06.07.2017 के संकल्प संख्या 11-1/2016-आईसी के माध्यम से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, रोकड़ संभाल भत्ता और कोष भत्ता को 'रोकड़ संभाल और कोष भत्ता' में शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय लिया है कि उत्तरवर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तों के अधीन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता स्वीकार्य होगा: -

संभाली गई औसत मासिक नकदी की राशि (रुपये में)	रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ते की संशोधित दरें (रुपये में)
<= 5 लाख	700
5 लाख से ज्यादा	1000

2. रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता प्रदान करने की शक्तियां मंत्रालयों और विभागाध्यक्षों को सौंपी गई हैं, जो अपने विवेक से, कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों/वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 तक के मूल पद धारण करने वाले अधिकारियों को रोकड़िया (कैशियर)) के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ते की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) मंजूर की जाने वाली रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ते की धनराशि चेक/ड्राफ्ट/ईसीएस/ऑनलाइन भुगतान/अन्य तरीकों से भुगतान को छोड़कर, जहां फिजिकल रूप में रोकड़ संभालना शामिल नहीं है, मासिक संवितरित नकद की औसत धनराशि पर निर्भर करेगी।

(ii) संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रमुख को पिछले वित्तीय वर्ष के औसत के आधार पर संवितरित नकदी की धनराशि को प्रमाणित करना चाहिए और उस मात्रा के लिए उपयुक्त रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ते की दर को मंजूरी देनी चाहिए। संवितरित नकदी की औसत राशि, चेक/आरटीआर/ड्राफ्ट/ईसीएस/ऑनलाइन भुगतान/अन्य तरीकों के रूप में संवितरित की गई मदों आदि को, जहां फिजिकल रूप में नकदी का प्रबंधन नहीं किया जाता है, कैश बुक में यथा संवितरित की गई दर्शाई गई कुल राशि में से घटाकर निकाली जानी चाहिए।

(iii) कार्मिक को दिए गए रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ते की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए।

(iv) प्रत्येक अधिकारी को, जिसे रोकड़िया (कैशियर) के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट नहीं दी जाती है, समय-समय पर यथा-संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के अध्याय 12 में नियम 306 (1) से 306 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति धनराशि जमा करानी चाहिए।

(v) रोकड़िया (कैशियर) के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी होने की तारीख से या प्रतिभूति राशि जमा करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता प्रदान किया जाएगा।

(vi) किसी कार्यालय/विभाग में एक से अधिक अधिकारियों को रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए।

(vii) प्रत्येक मामले में मंजूरी अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति के नाम पर ही जारी की जानी चाहिए जिसे नकद संबंधी कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है और जिसके लिए रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

(viii) भर्ती नियमों के प्रावधान के संदर्भ में ऐसे पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति पर नियुक्त रोकड़िया (कैशियर) के मामलों में, कोई रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा, जहां किसी विभाग/संगठन में व्यवहार्य संवर्ग का गठन करने के लिए विभिन्न ग्रेडों में पर्याप्त संख्या में रोकड़िया हैं, तो रोकड़िया के पद हेतु कोई रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता देय नहीं होगा।

(ix) रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता वरिष्ठ सचिवालय सहायक सह रोकड़िया के लिए स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि रोकड़ संभालना इस पद के कर्तव्यों का अभिन्न अंग है।

3. नव सृजित कार्यालय के मामले में, जहां ऊपर उद्धृत सभी शर्तों का पालन करना संभव नहीं है, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष स्वयं स्थापना के पहले वर्ष के दौरान अनुमानित औसत मासिक नकद संवितरण के आधार पर रोकड़ियों को रोकड़ संभाल एवं कोष भत्ता अनुदान दे सकते हैं। तथापि, ऊपर पैरा (2) में उद्धृत अन्य शर्तें लागू होंगी।

4. उपर्युक्त नियमों और शर्तों में किसी भी छूट के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

5. ये आदेश 01.07.2017 से प्रभावी होंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जा रहे हैं।

sd/-

(राजीव बाहरी)
भारत सरकार के अवर सचिव
टेलीफोन नंबर: 011-23040489

सेवा में,
मानक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।